सत्यमेव जयते	**राजस्थान राज-पत्र** **विशेषांक**	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 18, शाके 1932, बुधवार, मार्च 9, 2011 *Phalguna 18, Saka 1932, Wednesday, March 9, 2011*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी

किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.568.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12 (63) एफडी/टैक्स/2005-157 दिनांक 31.3.2006 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 1 में विनिर्दिष्ट व्यवहारियों के प्रवर्ग, उसके स्तंभ संख्यांक 2 में प्रत्येक के सामने यथा-विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर कर संदत्त करेंगे।

अनुसूची

स्तंभ सं. 1	स्तंभ सं. 2
(क) चालू वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के लिए चालीस करोड़ रुपये और अधिक के वार्षिक कर दायित्व वाले व्यवहारी!	मास के प्रथम दिन से दसवें दिन तक प्रभारित या संगृहीत कर के संबंध में मास के चौदहवें दिन तक, मास के ग्यारहवें दिन से बीसवें दिन तक प्रभारित या संगृहीत कर के लिए मास के पच्चीसवें दिन तक और मास के इक्कीसवें दिन से मास के अंत तक प्रभारित या संगृहीत कर मास की समाप्ति से पांच दिन के भीतर निक्षिप्त किया जायेगा।
(ख) चालू वित्तीय वर्ष के पूववर्ती वर्ष के लिए बीस हजार रुपये और अधिक किन्तु चालीस	प्रत्येक मास की समाप्ति से चौदह दिन के भीतर मासिक रूप से।

करोड़ रुपये से कम के वार्षिक कर दायित्व वाले व्यवहारी।	
(ग) संगमरमर, ग्रेनाइट इत्यादि को सम्मिलित करते हुए पत्थर के सभी प्रकारों में उनके सभी रूपों में, चाहे भवन सामग्री या अन्यथा के रूप में प्रयुक्त हों, व्यवहार कर रहे व्यवहारी।	जहां ऐसा माल अधिनियम की धारा 76 के अधीन स्थापित जांच चौकी में से होकर गुजरा हो वहां विक्रय या क्रय के संव्यवहार की समाप्ति पर तुरन्त।
(घ) व्यवहारी, जिन्होंने अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है।	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से चौदह दिन के भीतर-भीतर तिमाही रूप से।
(ड.) उपर्युक्त खण्ड (क), (ख), (ग) के अन्तर्गत नहीं आने वाले व्यवहारी।	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से चौदह दिन के भीतर तिमाही रूप से।

[प.12(25)वित्त/कर/11-127]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.569.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 में तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 में,-

(i) क्रम संख्यांक 18 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ताजी सब्जियां और फल, सिवाय जब कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी द्वारा विक्रीत की जाये।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ताजी सब्जियां और फल" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) क्रम संख्यांक 46 के सामने, स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "चॉक स्टिक, तख्ती और 200 रु. तक के ब्रांड रहित स्कूल बैग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चॉक स्टिक, तख्ती और 500 रु. तक के स्कूल बैग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) क्रम संख्यांक 59 के सामने, स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "750 रु. तक की रजाई और प्रति मद 150 रू. तक के रजाई कवर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "रजाई" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) विद्यमान क्रम संख्यांक 118 के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

"

119.	यू एच टी मिल्क	
120.	हस्तनिर्मित ऊनी गलीचे	
121.	नमदा	
122.	हाथ से कता हुआ वूलन यार्न	
123.	साजी	
124.	सभी प्रकार की दालें, चाहे साबुत हो, खण्डित हो या टूटी हुई हो जिसमें उनके बेसन भी सम्मिलित हैं	
125.	गेहूं और चावल	
126.	सा.वि.प्र. के माध्यम से विक्रीत केरोसीन तेल	
127.	पकाया हुआ भोजन	जब धार्मिक या पूर्त संस्था द्वारा पकाया और परोसा गया हो
128.	लौह और इस्पात से निर्मित तवा, कड़ाही, तई, सिगड़ी, चिमटा, इमामदस्ता, मूसली, झर और छलनी	
129.	चकला, बेलन और गैस लाईटर	
130.	मुल्तानी मिट्टी	
131.	सिराली, बागेशी, बारू, खजूर की पतियां, बास्केट्स, केवल बांस से बने हुए हाथ से निर्मित सूमा और जर्मा	

"

[प.12(25)वित्त/कर/11-128]

राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.570.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन तुरन्त प्रभाव से करती है, अर्थात् :-

संशोधन

अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 131 के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 132 और उसकी प्रविष्टियां, 01-04-2011 से जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

"

132	भांग और चिरा हुआ डोडा पोस्त	

"

[प.12(25)वित्त/कर/11-129]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.571.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 2 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 2, में विद्यमान क्रम संख्यांक 46 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

"

47.	राजस्थान में सी आई एस एफ कैन्टीनें	
48.	राजस्थान में सी आर पी एफ कैन्टीनें	
49.	पशु आहार के विनिर्माता	
50.	आउटडोर केटरर	

"

[प.12(25)वित्त/कर/11-130]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.572.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 3 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 3 में,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

"

7	स्टेनलेस स्टील शीट्स और स्टेनलेस स्टील सर्किल्स	1	

"

[प.12(25)वित्त/कर/11-131]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.573.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 में,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 58, 73, 107क, 128 और 167 और उनकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

(ii) क्रम संख्यांक 81 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "चूना, क्लिंकर और डोलोमाइट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चूना, चूना पत्थर, क्लिंकर और डोलोमाइट" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) क्रम संख्यांक 123 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "स्किम्ड मिल्क पाउडर और यू एच टी मिल्क" के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्किम्ड मिल्क पाउडर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) क्रम संख्यांक 153 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "साजी" हटायी जायेगी।

(v) क्रम संख्यांक 158 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "नमदा, फैल्ट, नान-वूवन फैब्रिक्स और इसके उत्पाद" के स्थान पर अभिव्यक्ति "फैल्ट, नान-वूवन फैब्रिक्स और इसके उत्पाद" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(vi) क्रम संख्यांक 159 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "चकला और बेलन" हटायी जायेगी।

(vii) क्रम संख्यांक 168 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "रुपये 50 प्रति किलोग्राम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "रुपये 60 प्रति किलोग्राम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(viii) विद्यमान क्रम संख्यांक 188 के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

"

189	इलेक्ट्रोनिक मिल्क टेस्टर और इसके पुर्जे	5	
190	वेल्डिंग होल्डर, वेल्डिंग ग्लास और वेल्डिंग मशीन	5	
191	सिंथेटिक औद्योगिक डायमंड पाउडर, जैम्स कटिंग और पालिशिंग टूल्स	5	
192	बैकरी यीस्ट	5	
193	लौह एवं इस्पात से बनी बाडी युक्त डेजर्ट कूलर	5	
194	लूज लीफ स्प्रिंग	5	
195	रोटो मोल्डेड प्लास्टिक स्टोरेज टैंक	5	
196	एल ई डी लैम्प	5	

"

2. उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 4 के भाग-ख में,-

(i) क्रम संख्यांक 218 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "स्टेनलेस स्टील इनगट्स, बिलेट्स, ब्लूम्स, फ्लैट्स, फ्लैट बार्स, पट्टा और सर्किल्स" के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्टेनलेस स्टील इनगट्स, बिलेट्स, ब्लूम्स, फ्लैट्स और फ्लैट बार्स" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) क्रम संख्यांक 265 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "तुम्बा बीज, रतनज्योत, निम्बोली और करंज" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तुम्बा बीज, निम्बोली और करंज" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) विद्यमान क्रम संख्यांक 274 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

[प.12(25)वित्त/कर/11-132]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.574.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम स.4) की धारा 4 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 6 में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची 6 में, -

(i) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "20" के स्थान पर अभिव्यक्ति "40" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक और उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

8	दुपहिया और तिपहिया को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटरयान (ट्रेक्टर को छोड़कर), उनके पुर्जे और उप-साधन	15
9	एयर कण्डीशनर और रेफ्रिजरेटर	15
10	मिनरल वाटर और सीलबन्द आधानों में बेचा गया जल	15
11	वातित जल	15

12	विमानन टर्बाइन ईंधन	20
13	पान मसाला	40

"

[प.12(25)वित्त/कर/11-133]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.575.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राजस्थान में सी आई एस एफ केंटीनों को उनके द्वारा किये गये माल के विक्रयों पर इस अधिनियम के अधीन संदेय कर से निम्नलिखित शर्तों पर इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात् :-

(1) कि स्टोर्स की विक्रय कीमत कमान अधिकारी द्वारा नियत विक्रय कीमत से अधिक नहीं होगी;

(2) कि स्टोर्स के लेखाओं के निरीक्षण के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के कर्मचारिवृन्द को पूर्ण सुविधाएं दी जायेंगी;

(3) कि केण्टीनें विभागीय रूप से चलायी जायेंगी न कि किसी संविदाकार द्वारा;

(4) कि विक्रय सी आई एस एफ के सदस्यों को किया जायेगा;

(5) कि माल की विक्रय कीमत प्रति मद एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी जहां ऐसा माल अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवहारी से मूपक बीजक के विरुद्ध क्रय न किया गया हो;

(6) कि ऐसे विक्रयों पर संगृहीत या प्रभारित कर, यदि कोई हो, राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा; और

(7) कि ऐसे विक्रयों पर राज्य सरकार को पहले से ही संदत्त कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-134]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.576.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा राजस्थान में सी आई एस एफ केण्टीनों को किसी माल के विक्रय को, उस सीमा तक जिस तक ऐसे माल के संबंध में कर की दर 3 प्रतिशत से अधिक हो, इस शर्त पर कर से छूट देती है कि सी आई एस एफ द्वारा उसकी ओर से क्रय करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी विक्रेता व्यवहारी को नीचे दिये गये प्ररूप में प्रमाणपत्र दे देता है।

प्ररूप

मैं ..... (नाम) ..... (पदनाम) सी आई एस एफ इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि राजस्थान में सी आई एस एफ केण्टीनों की ओर से बीजक सं. ..... दिनांक ..... द्वारा ..... रुपये में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. (टिन) ..... के धारक मैसर्स ..... से क्रय किया गया माल विक्रय के लिए है।

स्थान ..... सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी की मुहर
दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

[प.12(25)वित्त/कर/11-135]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.577.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राजस्थान में सी आर पी एफ कैंटीनों

को उनके द्वारा किये गये माल के विक्रयों पर इस अधिनियम के अधीन संदेय कर से निम्नलिखित शर्तों पर इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात् :-

(1) कि स्टोर्स की विक्रय कीमत कमान अधिकारी द्वारा नियत विक्रय कीमत से अधिक नहीं होगी ;

(2) कि स्टोर्स के लेखाओं के निरीक्षण के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के कर्मचारिवृन्द को पूर्ण सुविधाएं दी जायेंगी;

(3) कि केण्टीनें विभागीय रूप से चलायी जायेंगी न कि किसी संविदाकार द्वारा;

(4) कि विक्रय सी आर पी एफ के सदस्यों को किया जायेगा;

(5) कि माल की विक्रय कीमत प्रति मद एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी जहां ऐसा माल अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवहारी से मूपक बीजक के विरुद्ध क्रय न किया गया हो;

(6) कि ऐसे विक्रयों पर संगृहीत या प्रभारित कर, यदि कोई हो, राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा; और

(7) कि ऐसे विक्रयों पर राज्य सरकार को पहले से ही संदत्त कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-136]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.578.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा राजस्थान में सी आर पी एफ केण्टीनों को किसी माल के विक्रय को, उस सीमा तक जिस तक ऐसे माल के संबंध में कर की दर 3 प्रतिशत से अधिक हो, इस शर्त पर कर से छूट देती है कि सी आर पी एफ द्वारा उसकी ओर से क्रय करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी विक्रेता व्यवहारी को नीचे दिये गये प्ररूप में प्रमाणपत्र दे देता है।

प्ररूप

मैं ..... (नाम) ..... (पदनाम) सी आर पी एफ इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि राजस्थान में सी आर पी एफ केण्टीनों की ओर से बीजक सं.

..... दिनांक ..... द्वारा ..... रुपये में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. (टिन) ..... के धारक मैसर्स ..... से क्रय किया गया माल विक्रय के लिए है।

स्थान ..... सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी की मुहर
दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

[प.12(25)वित्त/कर/11-137]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.579.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, पशु आहार के विनिर्माता द्वारा मोलासिस के क्रय को कर से, उस सीमा तक जिस तक इसके संबंध में कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक हो, इस शर्त पर इसके द्वारा छूट देती है कि क्रय करने वाला व्यवहारी, विक्रय करने वाले व्यवहारी को इससे संलग्न प्ररूप में एक प्रमाण पत्र देगा।

प्ररूप

मै, ---------- (नाम) ---------- (हैसियत) इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैसर्स ---------- जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या (टिन) ---------- है, से बीजक संख्या ------- दिनांक ---------- द्वारा ---------- रूपये का ..... का क्रय मेरे द्वारा राज्य में पशु आहार के विनिर्माण में उपयोग के लिए किया गया है और विक्रय के लिए नहीं है।

मुहर नाम
स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक: हैसियत

[प.12(25)वित्त/कर/11-138]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.580.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, रेस्टोरेन्ट एवं होटल से भिन्न किसी स्थान पर किसी भी अवसर के प्रयोजन के लिए पकाये गये भोजन एवं खाद्य सामग्री के विक्रय पर आउटडोर केटरर द्वारा संदेय कर को, उस सीमा तक जिस तक कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक है, तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण: आउटडोर केटरर से ऐसा केटरर अभिप्रेत है जो अपने स्वयं के स्थान से भिन्न स्थान पर केटरिंग सेवायें प्रदान करने में लगा हुआ है।

[प.12(25)वित्त/कर/11-139]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.581.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 12(86)एफ.डी./टैक्स/09-76, दिनांक 27.01.2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "31.3.2011 तक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31.3.2012" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.12(25)वित्त/कर/11-140]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.582.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-20 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में इसके द्वारा 01.4.2011 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान शर्त संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"4. कि छूट व्यष्टियों के लिए पचास लाख रूपये और अन्यों के लिए दो सौ लाख रूपये तक के उनके वार्षिक पण्यावर्त पर ही उपलब्ध होगी।"

[प.12(25)वित्त/कर/11-141]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.583.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है,

उक्त उप-धारा के प्रयोजन के लिए संकर्म संविदा के निष्पादन में लगे हुए व्यवहारियों को 01.4.2011 से इसके द्वारा अधिसूचित करती है।

[प.12(25)वित्त/कर/11-142]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.584.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(41)एफडी/टैक्स/2006-48 दिनांक 22.8.2008 को इसके द्वारा 01.04.2011 से विखंडित करती है।

[प.12(25)वित्त/कर/11-143]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.585.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 4 की उप-धारा (1) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 11 के अनुसरण में राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना

सं. एफ.12(63)एफ.डी./टैक्स/2005-172 दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में तुरन्त प्रभाव से इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "केरोसीन, गेहूं, चावल और आयातित खाद्य तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विक्रीत)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयातित खाद्य तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विक्रीत), पान मसाला, तम्बाकू और उसके उत्पाद" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.12(25)वित्त/कर/11-144]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.586.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये 1 अप्रेल, 2011 से प्रवृत्त होंगे।

2. नये नियम 4क का अन्त:स्थापन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 4 के पश्चात् और विद्यमान नियम 5 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 4क अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**4क. अधिनियम की धारा 75 और 76 के अधीन अधिकारियों की अधिकारिता.-** कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को अधिनियम की धारा 75 और 76 के अधीन ऐसे क्षेत्र में, जो आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाये, शक्तियों का प्रयोग करने की अधिकारिता होगी।"

3. नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 के विद्यमान उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने धारा 3 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर के संदाय के लिए विकल्प दिया था, निर्धारण प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या करदाता के सेवा कार्यालय को रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाणपत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करके उससे बाहर होने का विकल्प दे सकेगा।"

4. नियम 18 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 18 का संशोधन,-

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को किसी कर कालावधि के लिए उपलभ्य आगत कर मुजरा की सीमा, मूल मूपक बीजक से यथापरिलक्षित राज्य में क्रयों पर संदत्त कर की रकम के बराबर होगी और जहां ऐसा बीजक खो जाता है या नष्ट हो जाता है वहां इस नियम के अन्य उपबंधों और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए,-

(क) कि ऐसे व्यवहारी ने प्ररूप मूपक 07 में मूपक बीजकों के पेटे अपने क्रयों का सही और ठीक पृथक् लेखा रखा है और नियम 19 में विहित विवरणी सहित प्ररूप मूपक 07क में उसका संक्षित विवरण प्रस्तुत कर देता है;

(ख) कि ऐसे व्यवहारी ने प्ररूप मूपक 08 में अपने विक्रयों का सही और ठीक पृथक् लेखा रखा है और नियम 19 में विहित विवरणी सहित प्ररूप मूपक 08क में उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर देता है;

नियम 38 के उप-नियम (4) के अनुसार उसे जारी की गयी उसकी दूसरी प्रति के आधार पर होगी।

टिप्पण: प्ररूप मूपक-07, मूपक-07क, मूपक-08 और मूपक-08क में मूपक बीजक उस तिमाही में प्रविष्ट किये जायेंगे जिसमें बीजक की तारीख पड़ती है, चाहे माल की रसीद किसी वर्ष या वर्षों की विभिन्न तिमाहियों में की हो।

(ii) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2) मूपक बीजक पर पूंजीगत माल के क्रय के संबंध में आगत कर मुजरा उपर्युक्त रीति से अनुज्ञात किया जायेगा और ऐसे पूंजीगत माल से विनिर्मित माल के प्रथम विक्रय तक अग्रनीत किया जायेगा।"

(iii) विद्यमान उप-नियम (3), (4) और (5) हटाये जायेंगे।

(iv) विद्यमान उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(7) जहां ऐसे किसी व्यवहारी, जो धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प देता है, का पण्यावर्त उक्त उप-धारा की सीमा से अधिक है या वह उक्त उप-धारा के विकल्प को छोड़ देता है या उसका दायित्व धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ख) या उप-धारा (5) के अधीन प्रोद्भूत होता है वहां ऐसी घटना के होने की तारीख को स्टाक में के माल पर कोई आगत कर मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

5. नियम 19 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**19. विवरणियां.-** (1) अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी किसी व्यवहारी द्वारा प्ररूप मूपक-10, मूपक-10क और, यथास्थिति, मूपक-11 में प्रस्तुत की जायेगी।

(2) प्रत्येक व्यवहारी विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा जब तक कि आयुक्त द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाये। विवरणी व्यवहारी या उसके कारबार प्रबन्धक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित की जायेगी और यदि इसे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है तो व्यवहारी विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से तैयार की गयी अभिस्वीकृति देगा और ऐसी विवरणी (विवरणियों) को फाइल करने की अंतिम तारीख के पन्द्रह दिवस के भीतर उसके द्वारा या उसके कारबार प्रबन्धक द्वारा उस पर अपने हस्ताक्षर करके सत्यापित की जायेगी, ऐसा करने में विफल रहने पर विवरणी (विवरणियां) फाइल न करने का मामला समझा जायेगा।

(3) जहां कर की रकम, ब्याज या विलम्ब फीस, यदि कोई हो, इलैक्ट्रोनिक रूप से संदत्त नहीं की जाती है वहां व्यवहारी निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसी विवरणी (विवरणियों) को फाइल करने की अन्तिम तारीख के पन्द्रह दिवस के भीतर निक्षेप के सबूत के रूप में प्ररूप मूपक-37 में चालान की प्रति, प्ररूप मूपक-38 में रसीद या स्त्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र देगा।

(4) प्ररूप मूपक-11 में विवरणी, व्यवहारियों के निम्नलिखित ऐसे वर्गों द्वारा सुसंगत वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी :-

(क) जिसने धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है; या

(ख) जो अनन्य रूप से ऐसे माल में व्यवहार करता है :-

(i) जो अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त है; या

(ii) जिन पर धारा 5 के अधीन एकमुश्त कर का संदाय करने के विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है; या

(iii) जो विक्रयों की आवली में प्रथम बिन्दु पर कराधेय है और माल पर उक्त बिन्दु पर कर लग चुका है; या

(iv) जो धारा 4 की उप-धारा (7) के अधीन अधिकतम खुदरा कीमत पर कराधेय है और ऐसे माल पर उक्त उप-धारा के अधीन अधिकतम खुदरा कीमत पर कर लग चुका है; या

(v) जो छूट फीस के संदाय की शर्त पर धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन छूट प्राप्त है; या

(vi) जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(5) प्ररूप मू.प.क. में विवरणी उपर्युक्त उप-नियम (4) में प्रगणित से भिन्न समस्त व्यवहारियों द्वारा तिमाही की समाप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी और इसके साथ निम्नलिखित होंगे-

(क) प्ररूप मूपक-07क में क्रयों का कथन;

(ख) प्ररूप मूपक-08क में विक्रयों का कथन;

स्पष्टीकरण: तिमाही से 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तीन मास की कालावधि अभिप्रेत है और मास से कलैण्डर मास अभिप्रेत है।

(6) उप-नियम (5) के अधीन आने वाले समस्त व्यवहारियों द्वारा सुसंगत वर्ष की समाप्ति से नौ मास के भीतर प्ररूप मूपक-10क में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जायेगी।

(7) जहां किसी व्यवहारी के एक से अधिक कारबार के स्थान हों, वहां वह विवरणी में कारबार के मुख्य स्थान के पण्यावर्त के साथ ही कारबार के समस्त अन्य स्थानों का पण्यावर्त भी सम्मिलित करेगा।

(8) जहां किसी व्यवहारी को उसके द्वारा दिये गये प्ररूप मूपक-10 में किसी लोप या गलती का पता चलता है वहां वह वार्षिक विवरणी या संपरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की देय तारीख के पूर्व किसी भी समय या धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्ति पर, जो भी पहले हो, पुनरीक्षित विवरणी दे सकेगा।

(9) उपर्युक्त उप-नियम (1) से (7) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 01.4.2011 के पूर्व की कालावधि के लिए विवरणी (विवरणियां), उस रीति से और ऐसे प्ररूप में, जो उस कालावधि के लिए प्रवृत्त था, प्रस्तुत की जा सकेंगी।"

6. नियम 19क का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 19क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**19क. विलम्ब फीस.-** जहां कोई व्यवहारी विहित समय के पश्चात् विवरणी देता है तो वह निम्नलिखित रकम की विलम्ब फीस का संदाय करेगा-

(i) ऐसे मामले में जिसमें उससे अधिनियम की धारा 20 के अधीन प्रति मास या उसके भाग के लिए कर का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, अधिकतम पचास हजार रूपये या निर्धारित कर के तीस प्रतिशत, इनमें से जो भी निम्न हो, के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम पन्द्रह दिन की कालावधि के लिए एक सौ रूपये प्रतिदिन और इसके पश्चात् पांच सौ रूपये प्रतिदिन; और

(ii) समस्त अन्य मामलों में पांच हजार रूपये अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए पचास रूपये प्रति दिन।"

7. नियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 21 के उप-नियम (1) में,-

(i) खण्ड (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "अपनी विवरणी के साथ" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वार्षिक विवरणी या, यथास्थिति, संपरीक्षा रिपोर्ट फाइल करने की नियत तारीख के पूर्व" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "अपनी विवरणी के साथ" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वार्षिक विवरणी या, यथास्थिति, संपरीक्षा रिपोर्ट फाइल करने की नियत तारीख के पूर्व" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि 31 मार्च, 2011 तक संपूरित निर्धारणों के लिए व्यवहारी 30 जून, 2011 तक घोषणा प्ररूप/प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेगा।"

8. नियम 22 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 22 में,-

(i) उप-नियम (2) के स्पष्टीकरण के नीचे दी गयी सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 4, 13, 14 और 17 और उनकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

(ii) विद्यमान उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(6) जहां ऐसे किसी व्यवहारी द्वारा, जिसने अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (7) के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है, किसी माल के विक्रय के बारे में माल की मात्रा के संबंध में कोई व्यापार डिस्काउण्ट या प्रोत्साहन अनुज्ञात किया गया है वहां मात्रा के संबंध में किसी व्यापार

डिस्काउण्ट या प्रोत्साहन के अधीन दिये गये माल की अधिकतम खुदरा कीमत भी कराधेय पण्यावर्त में सम्मिलित होगी।"

9. नियम 27क का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 27क हटाया जायेगा।

10. नियम 28 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 28 में,-

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विवरणी सहित" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विवरणी प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विवरणी सहित" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विवरणी प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्" प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. नियम 36 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 36 के उप-नियम (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तथापि, संपरीक्षा रिपोर्ट,-

(i) वर्ष 2006-07 के लिए 31.3.2008 तक;

(ii) वर्ष 2007-08 के लिए 31.3.2009 तक; और

(iii) वर्ष 2008-09 के लिए 31.01.2010 तक,

दी जायेगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तथापि, संपरीक्षा रिपोर्ट,-

(i) वर्ष 2006-07 के लिए 31.3.2008 तक;

(ii) वर्ष 2007-08 के लिए 31.3.2009 तक;

(iii) वर्ष 2008-09 के लिए 31.01.2010 तक; और

(iv) वर्ष 2009-10 के लिए 31.3.2011 तक,

दी जायेगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. नियम 67 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 67 के विद्यमान उप-नियम (2) और (3) हटाये जायेंगे।

13. नियम 75 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 75 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**75. निकासी या अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा सूचना देना.-** आयुक्त द्वारा अनुज्ञात किये जाने पर, वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, किसी ऐसे निकासी या अग्रेषण अभिकर्ता से, जो अपने कारबार के अनुक्रम में कर के दायित्वाधीन माल के किसी परेषण की बुकिंग या परिदान लेने के लिए अपनी सेवा देता है या कर के दायित्वाधीन माल के संबंध में हक के किसी दस्तावेज को संभालता है, प्ररूप मूपक-63 में सूचना की अपेक्षा कर सकेगा।"

14. प्ररूप मूपक-10 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप मूपक-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

दावाकृत प्रतिदाय **हां** **नहीं**	**"प्ररूप मूपक-10** [रामूपक नियमों का नियम 19 और के.वि.क. (राज.) नियमों का नियम 4 देखिए) **विवरणी**	**मूल/पुनरीक्षित** यदि पुनरीक्षित: मूल विवरणी फाइल करने की तारीख: ..... अभिस्वीकृति सं. ..... पुनरीक्षण का विवरण देते हुए एक टिप्पणी संलग्न करें

विवरणी कालावधि ..... से ..... तक

1. साधारण सूचना

1.1	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन) :	**0**	**8**									
1.2	व्यवहारी का पूरा नाम:											
1.3	कारबार के मुख्य स्थान का पता											
1.4	दूरभाष नम्बर:			मोबाइल नम्बर:						ई-मेल आईडी:		

2. विक्रयों के पण्यावर्त का ब्यौरा

2	**पण्यावर्त का ब्यौरा**	**रकम**
2.1	**सकल पण्यावर्त** में [धारा 4(2) के अधीन कर के दायित्वाधीन क्रय; अ.खु.की., यदि अ.खु.की. पर कर संदाय करने का विकल्प दिया है; अवार्डर से प्राप्त संदाय; मालिक की ओर से विक्रीत माल और अभिकर्ता के माध्यम से विक्रय (मू.प.क. 35) सम्मिलित है]	
	कटौती	
2.2	विवरणी कालावधि के भीतर विक्रीत माल की विक्रय विवरणी का पण्यावर्त	
2.3	क. अनुसूची-1 में छूट प्राप्त (राज्य के भीतर विक्रीत या अन्यथा)	
	ख. धारा 8(3) के अधीन अनुसूची-2 में पूर्ण रूप से छूट प्राप्त	
	ग. धारा 8(4) के अधीन सेज या निर्यातों के संवर्धन के लिए किये गये विक्रय	
	घ. राज्य के बाहर से क्रय और विक्रय किये गये माल के विक्रय	
	ङ धारा 5 के अधीन पण्यावर्त (प्रशमन स्कीम)	
	च. धारा 8(3) के अधीन पण्यावर्त (संकर्म संविदा पर छूट प्रमाणपत्र)	
	छ. धारा 3(2) के अधीन पण्यावर्त (अन्तरण स्विच ओवर के मामले में)	
	ज. अन्य जो मू.प.क. के अधीन कर के दायित्वाधीन न हो (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
	कुल पण्यावर्त (क) से (ज)	
2.4	प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल, जिस पर पहले ही कर लग चुका है, का पण्यावर्त	
2.5	राज्य में मालिक की ओर से विक्रीत माल का पण्यावर्त (प्ररूप मूपक 36क के विरूद्ध)	
2.6	प्राप्तियों से कटौती योग्य श्रम की रकम (संकर्म संविदाओं के मामले में)	
2.7	राज्य के भीतर निर्यातकर्ताओं को विक्रय (प्ररूप मूपक-15 के विरूद्ध)	
2.8	के.वि.क. अधिनियम, 1957 की धारा 5(3) के अधीन निर्यात के अनुक्रम में विक्रय (प्ररूप ज के विरूद्ध)	
2.9	के.वि.क. अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अधीन निर्यात के अनुक्रम में विक्रय	
2.10	राज्य से बाहर विक्रय/शाखा, डिपो या स्टाक अन्तरण (प्ररूप च के विरूद्ध)	
2.11	पश्चात्वर्ती अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप ङ 1 या ङ 2 के विरूद्ध)	
2.12	के.वि.क. अधिनियम की धारा 6(3) के अधीन अन्तरराज्यिक क्रय (प्ररूप ञ के विरूद्ध)	
2.13	के.वि.क. अधिनियम की धारा 8(6) के अधीन सेज को किये गये अन्तरराज्यिक विक्रय (प्ररूप झ के विरूद्ध)	
2.14	अन्य कटौतियां, यदि कोई हों	
2.15	योग (2.2 से 2.14)	
2.16	मूपक के अधीन कराधेय पण्यावर्त [(2.1)-(2.15)]	

3क. निर्गत कर (मूपक के अधीन कर दायित्व)

	विक्रयों का ब्यौरा	वस्तु	पण्यावर्त (कृपया अनुदेश 3 देखें)	कर की रकम
3.1	1 प्रतिशत की दर पर विक्रय			
3.2	4 प्रतिशत की दर पर विक्रय			
3.3	5 प्रतिशत की दर पर विक्रय			
3.4	14 प्रतिशत की दर पर विक्रय			
3.5	अ.खु.की. माल के विक्रय (राज्य के भीतर प्रथम विक्रय)			
3.6	योग : (3.1 से 3.5 तक)			
3.7	नियम 22(1)(ग) के अधीन राज्य के भीतर कराधेय माल की विक्रय विवरणी (विवरणी कालावधि से भिन्न)			
3.8	कुल देय निर्गत कर : (3.6 - 3.7)			

3ख के.वि.क. के अधीन कर दायित्व

	विक्रयों का ब्यौरा	**वस्तु**	**पण्यावर्त**	**कर की रकम**
3.1.1	2 प्रतिशत की दर पर प्ररूप ग के विरूद्ध अन्तरराज्यिक विक्रय			
3.1.2	.... प्रतिशत की दर पर प्ररूप ग के विरूद्ध अन्तरराज्यिक विक्रय			
3.1.3	.... प्रतिशत की दर पर प्ररूप ग के बिना अन्तरराज्यिक विक्रय			
3.1.4	.... प्रतिशत की दर पर प्ररूप च के बिना राज्य के बाहर विक्रय			
3.1.5	योग : (3.1.1 से 3.1.3 तक)			
3.1.6	नियम 22(1)(ग) के अधीन कराधेय माल की विक्रय विवरणी (विवरणी कालावधि से भिन्न)			
3.1.7	कुल निर्गत: (3.1.5 - 3.1.6)			

4. क्रय कर

4.1	**क्रय कर का ब्यौरा**	**वस्तु**	**पण्यावर्त**	**कर रकम**
क.	1 प्रतिशत की दर पर			
ख.	4 प्रतिशत की दर पर			
ग.	5 प्रतिशत की दर पर			
घ.	14 प्रतिशत की दर पर			
	.... प्रतिशत			
4.2	योग : (क से घ तक)	[redacted]		

5. प्रतिवर्ती कर

5.1	**प्रतिवर्ती कर का ब्यौरा**	**वस्तु**	**पण्यावर्त**	**कर रकम**
क.	क्रय किये गये माल की वापसी (विवरणी कालावधि से भिन्न)			
ख.	धारा 18(1)(क) से (छ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए क्रय किये गये और अन्यथा व्ययनित माल गैर-अनुज्ञेय आनुपातिक आगत कर मुजरा को सम्मिलित करते हुए।			
ग.	राज्य के बाहर विक्रय की दशा में (4 प्रतिशत तक) ..... प्रतिशत			
घ.	धारा 3(2) के विकल्प से अन्तरण (स्विच ओवर) की दशा में शेष स्टाक [नियम 17(3) देखिए]			
ङ.	किसी अन्य मामले में (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
5.2	योग (क से ङ) :	[redacted]		

6. आगत कर और क्रय का ब्यौरा

	क्रय	**वस्तु**	**मूपक को अपवर्जित करते**	**आगत कर**

			हुए क्रय मूल्य	
6.1	1 प्रतिशत की दर पर क्रय			
6.2	4 प्रतिशत की दर पर क्रय			
6.3	5 प्रतिशत की दर पर क्रय			
6.4	14 प्रतिशत की दर पर क्रय			
6.5	.... प्रतिशत की दर पर क्रय			
6.6	पूंजीगत माल का क्रय			
6.7	योग (6.1 से 6.6 तक)			
6.8	क्रय वापसी (विवरणी कालावधि के भीतर क्रय किये गये)		(-)	(-)
6.9	कुल पात्र आगत कर मुजरा (6.7 - 6.8)			
6.10	आगे लाये गये आगत कर मुजरा की रकम (पूर्ववर्ती विवरणी का स्तम्भ 7.8)			
6.11	उपलब्ध कुल आगत कर मुजरा (6.9+6.10)			

7. संदेय/आस्थगित कर

		रकम
7.1	मूपक और के.वि.क. के अधीन संदेय कुल कर (3.8+4.2+5.2+3.1.7)	
7.2	स्तम्भ 6.11 के अनुसार आ.क.मु.	
7.3	शुद्ध संदेय कर (+)/मुजरा योग्य (-)(7.1-7.2)	
7.4	आस्थगित कर (मूपक और केविक के अधीन)/स्त्रोत पर काटा गया कर	
7.5	संदेय रकम (+)/मुजरा योग्य (-)(7.3-7.4)	
7.6	8 के अनुसार मूपक और केविक के अधीन निक्षिप्त रकम	
7.7	संदेय रकम (+)/मुजरा योग्य (-)(7.5-7.6)	
7.8	यदि मुजरा योग्य है तो अगली तिमाही में आगे ले जायी गयी रकम	
7.9	दावाकृत प्रतिदाय (यदि कोई हो)	

8. निक्षेपों का ब्यौरा-मूपक-37, मूपक-37क, मूपक-37ख, मूपक-38, मूपक-41 (स्त्रोत पर कटौती का प्रमाणपत्र), मूपक-25 (प्रतिदाय समायोजन आदेश) इत्यादि

संदाय प्रवर्ग (कृपया सही का निशान लगायें) मासिक ☐ मास में दो बार ☐ मास में तीन बार ☐ तिमाही ☐

कर कालावधि		शोध्य कर		नियत तारीख	निक्षिप्त कर		निक्षेप की तारीख	निक्षेप में विलम्ब	ब्याज की रकम		ब्याज के निक्षेप की तारीख
से	तक	मूपक	केविक		मूपक	केविक			मूपक	केविक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

9. विलम्ब फीस का ब्यौरा :

विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख		विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख	विलम्ब फीस की रकम	विलम्ब फीस के निक्षेप की तारीख

10. अन्य कोई सूचना जो व्यवहारी वर्णित करना चाहे :

संलग्नक :

1. चालान का भाग-4 मूपक-37 (यदि ई-संदाय न किया गया हो)
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

सत्यापन:

मैं/हम सत्यापित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त सूचना तथा इसके संलग्नक मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

हस्ताक्षर .....
नाम
हैसियत
स्थान
तारीख

अनुदेश :

1. विवरणी का प्रत्येक स्तम्भ भरें-जो स्तम्भ लागू न हों उनमें लागू नहीं लिखें।
2. जहां कहीं स्थान पर्याप्त न हो, अतिरिक्त पन्ना (पन्ने) संलग्न करें।
3. (क) आयातकर्ता या विनिर्माता द्वारा अधिकतम खुदरा कीमत (अ.खु.की.) आधार पर कर संदाय का विकल्प देने की दशा में, अ.खु.की. स्तम्भ 2.1 और 3 में दर्शित किया जाये।
   (ख) जो व्यवहारी मूपक विक्रय के अतिरिक्त निम्नलिखित के संबंध में पण्यावर्त रखते हैं -
   (i) धारा 5 के अधीन कर के संदाय का विकल्प (प्रशमन स्कीम)
   (ii) धारा 8(3)(छूट प्रमाणपत्र के अधीन संकर्म संविदा)
   (iii) धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प {3(2) से मूपक में अन्तरण (स्विच ओवर)}

   मूपक-10 में पण्यावर्त सम्मिलित करेंगे और मूपक-10क में पण्यावर्त, कर दायित्व और कर का संदाय घोषित करेंगे।

अभिस्वीकृति

पहचान सं. **दिनांक**

1	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन) :	**0**	**8**								
2	व्यवहारी का पूरा नाम:										
3	सकल पण्यावर्त										
4.	मूपक और के.वि.क. के अधीन संदेय कुल कर										
5.	कुल संदेय ब्याज										
6.	संदेय विलम्ब फीस										
7.	संदेय कुल रकम										
8.	दावाकृत कुल आगत कर मुजरा										
9.	मूपक और के.वि.क. के अधीन निक्षिप्त रकम										
10.	अतिशेष (8+9)-(7)	यदि मूल्य ऋणात्मक है तो विवरणी स्वीकार नहीं की जायेगी									

"

15. प्ररूप मूपक-11 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप मूपक-11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"प्ररूप मूपक-11

(नियम 19 देखिए)

विवरणी

1. साधारण सूचना

1.1	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन) :	**0**	**8**										
1.2	व्यवहारी का पूरा नाम:												
1.3	कारबार के मुख्य स्थान का पता												
1.4	दूरभाष नम्बर: मोबाइल नम्बर: ई-मेल आईडी:												

2. उन व्यवहारियों द्वारा भरा जाये जिन्होंने धारा 3(2) के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है

		रकम
2.1	सकल पण्यावर्त	
	कटौती:-	
2.2	अनुज्ञेय विक्रय वापसी का पण्यावर्त	
2.3	छूट प्राप्त माल का पण्यावर्त	
2.4	कुल कटौती (2.2+2.3)	
2.5	कराधेय पण्यावर्त (2.1)-(2.4)	
2.6	..... की दर पर संदेय कर	

3. उन व्यवहारियों द्वारा भरा जाये जिन्होंने धारा 5 के अधीन कर के संदाय के लिए विकल्प दिया है

	प्रशमन स्कीम का नाम जिसका विकल्प दिया गया है:	**रकम**
3.1	प्रशमन स्कीम के अधीन विवरणी कालावधि के लिए सकल पण्यावर्त	
3.2	पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदेय प्रशमन रकम	
3.3	विवरणी कालावधि के लिए संदेय प्रशमन रकम :	
	(स्कीम के अनुसार प्रशमन रकम की संगणना)	
	(i) स्तम्भ 3.2 के अनुसार प्रशमन रकम का ..... प्रतिशत ..... रु.	
	(ii) सुसंगत वर्ष के वार्षिक सकल पण्यावर्त के आधार पर ..... रु.	
	(iii) अन्य यदि कोई हो ..... रु.	

4. उन व्यवहारियों द्वारा भरा जाये जिन्होंने धारा 8(3) के अधीन छूट प्रमाणपत्र का विकल्प दिया है

क्र. सं.	अवार्डर का नाम कार्य आदेश सं. और तारीख	कार्यों का मूल्य	छू.प्र. सं. और तारीख	छू.प्र. जारी करने वाला प्राधिकारी	अवार्डर से प्राप्त रकम	छू.प्र. फीस की दर	छू.प्र. फीस की रकम	निक्षिप्त छू.प्र. फीस		
								अवार्डर द्वारा	संविदाकार द्वारा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1										
4.2										
4.3										

5. उन व्यवहारियों द्वारा भरा जाये (i) जो माल विक्रय करते हैं जिस पर प्रथम बिन्दु या अ.खु.की. पर अधिनियम के अधीन कर लगा है (ii) जो अनन्य रूप से छूट प्राप्त माल का व्यवहार करते हैं

		रकम
5.1	सकल पण्यावर्त	
5.2	अनुज्ञेय विक्रय वापसी का पण्यावर्त	
5.3	अतिशेष	

6. विवरणी कालावधि का व्यापार खाता (समस्त व्यवहारियों के लिए)

		रकम		**रकम**
6.1	आरम्भिक अतिशेष		विक्रय	
6.2	क्रय		अन्त स्टाक	
6.3	व्यय		सकल हानि	
6.4	सकल लाभ			
	कुल		कुल	

7. निक्षेप का ब्यौरा

कर कालावधि		नियत	निक्षेप में	देय रकम			निक्षिप्त	निक्षेप की	निक्षेपों
से	तक	तारीख	विलम्ब	कर	ब्याज	कुल	रकम	तारीख	की रीति
कुल									

8. विलम्ब फीस का ब्यौरा :

विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख		विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख	विलम्ब फीस की रकम	विलम्ब फीस के निक्षेप की तारीख

9. संक्षिप्त कथन

9.1	देय अतिशेष/अधिक संदत्त, यदि कोई हो	

सत्यापन:

मैं सत्यापित करता हूं कि उक्त सूचना और इसके संलग्नक मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

संलग्न (मूपक-37, मूपक-38, स्त्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र)
.....
.....
.....

हस्ताक्षर :
नाम :
हैसियत :
तारीख :

अभिस्वीकृति

पहचान सं. **तारीख**

1	रजिस्ट्रीकरण सं. (टिन) :	**0**	**8**									
2	व्यवहारी का पूरा नाम:											
3	सकल पण्यावर्त											
4.	संदेय कर की रकम											
5.	संदेय ब्याज											
6.	संदेय विलम्ब फीस											
7.	संदेय कुल रकम											
8.	निक्षिप्त रकम											
9.	अतिशेष (8-7)	यदि मूल्य ऋणात्मक है, विवरणी स्वीकार्य नहीं होगी										

"

16. प्ररूप मूपक-45क का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप मूपक-45क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"प्ररूप मूपक-45क

(नियम 39-क देखिए)

भाग-क

इलैक्ट्रोनिक रूप से किये गये संदाय का विवरण

क्र. सं.	निक्षेपकर्ता का नाम	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. (टिन)	निक्षेप की तारीख	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	बैंक सी.आई. एन.	रकम (रूपयों में)

भाग-ख

क्र. सं.	व्यवहारी/ व्यक्ति का नाम	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं. (टिन) यदि कोई हो	आदेश की तारीख	प्रतिदाय की तारीख	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	बैंक सी.आई. एन.	रकम (रूपयों में)

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं मुहर"

17. प्ररूप मूपक-61 और प्ररूप मूपक-62 का हटाया जाना.- उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप मूपक-61 और प्ररूप मूपक-62 को हटाया जायेगा।

18. प्ररूप मूपक-63 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप मूपक-63 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"प्ररूप मूपक-63

(नियम 75 देखिए)

निकासी या अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण

नाम .....
पता .....
पैन ..... मोबाइल नं. ..... ई-मेल पता .....
कालावधि : ..... से ..... तक

क्र. सं.	निकासी या अग्रेषण की तारीख	परेषक का ब्यौरा		परेषिती का ब्यौरा		सुपुर्दगी टिप्पण/ वहन पत्र/आर. आर./जी.आर. इत्यादि की सं. और तारीख	माल का विवरण	पैकेजों की सं.	वजन	माल का मूल्य	अभ्युक्तियां
		नाम और पता	टिन	नाम और पता	टिन						

घोषणा

मैं/हम ..... घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण में दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान .....
जारी करने की तारीख .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
मुहर सहित हैसियत ....."

[प.12(25)वित्त/कर/11-145]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.587.- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(44)एफ.डी./टैक्स/07-09 दिनांक 17.04.2008 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 प्रतिशत (एक प्रतिशत)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.12(25)वित्त/कर/11-146]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.588.- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 74) की धारा 13 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये 1 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 में संशोधन.- केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम 1957, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"4. केन्द्रीय अधिनियम के अधीन कर संदाय करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में यथा विहित रीति में और समय के भीतर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के प्ररूप मूपक-10 में पण्यावर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा ।"

3. नियम 4 क का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 4क हटाया जायेगा।

4. नियम 16 क में संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 16 क में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्ररूप के.वि.क.-1 में की विवरणी के साथ" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 16 ख में संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 16 ख के विद्यमान खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्ररूप के.वि.क.-1 में की विवरणी के साथ" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर"' प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. नियम 17 में संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 के विद्यमान उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपनी प्ररूप के.वि.क.-1 में की विवरणी के साथ" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तिमाही की समाप्ति से तीस दिन के भीतर अपने निर्धारण प्राधिकारी को देगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. नियम 17च में संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17च के विद्यमान उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस घोषणा प्ररूपों वाली प्रत्येक पुस्तक के लिए एक सौ रुपये की फीस के संदाय के सबूत के साथ" हटायी जायेगी।

8. प्ररूप के.वि.क.-1 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप के.वि.क.-1 को हटाया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-147]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम, सं. 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर नियम, 1992, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**3. कर के दायित्व में कमी के लिए शर्त.-** (1) यदि अपने स्वयं के उपयोग के लिए राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यान का आयात करने वाला कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन कर की कम की गयी रकम का दावा करता है तो वह अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अनुसार कम की गयी कर की रकम के संदाय के सबूत के साथ मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) में ऐसे मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व ऐसे क्षेत्र में, जहां वह सामान्यत: निवास करता है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त या वाणिज्यिक कर अधिकारी को लिखित में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) उक्त अधिकारी, यह समाधान होने पर कि अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अनुसार कर संदत्त कर दिया गया है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप क.स.प्र.-1 में ऐसे आयातकर्ता को कर समाशोधन प्रमाणपत्र जारी करेगा।"

3. नियम 4 की घोषणा.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 4 हटाया जायेगा।

4. प्ररूप प्र.क.-1 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान प्ररूप प्र.क.-1 के स्थान पर निम्नलिखित नया प्ररूप क.स.प्र.-1 प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"प्ररूप क.स.प्र.-1

[नियम 3 देखिए]

कर समाशोधन प्रमाणपत्र

मूल

दूसरी प्रति

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ..... ने राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अधीन संदेय कर को, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) में यथा उपबंधित सीमा तक कम करके, निक्षिप्त कर दिया है, जिसका ब्यौरा निम्न है :-

1. मोटर यान का प्रकार:
2. व्यवहारी का नाम और पता जिससे क्रय किया गया है:
3. बीजक की संख्या और तारीख:
4. विक्रेता व्यवहारी को संदत्त/संदेय रकम:
5. यान के क्रय की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में संदत्त कर की रकम :
6. क्रय मूल्य :
   (अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा 1 के खण्ड (छ) के अनुसार)
7. संदेय कर :
   (अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अनुसार)
8. निक्षिप्त कर की रकम :
9. निक्षिप्त करने की तारीख :

सहायक आयुक्त / वाणिज्यिक कर
अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर।"

[प.12(25)वित्त/कर/11-148]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.590.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, मनोरंजन के निम्नलिखित प्रवर्गों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य मनोरंजन कर का, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से परिहार करती है, अर्थात्:-

(i) सिनेमा हाल अथवा मल्टीप्लेक्स में एनालोग प्रोजेक्टर अथवा डिजिटल प्रोजेक्टर से फिल्मों का प्रदर्शन;

(ii) केबल सेवा; और

(iii) डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-149]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ. 591.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं.13) की धारा 3 उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(14)एफ.डी./टैक्स/2006-137, दिनांक 08.03.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गयी सूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट और किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, उनके उपभोग, या उपयोग या विक्रय के लिए लाये गये माल के सम्बन्ध में किसी व्यवहारी द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर ऐसी दर से तुरन्त प्रभाव से संदेय होगा जो उक्त सूची के स्तम्भ 3 में उनके सामने दर्शित किया गया है, अर्थात्:-

सूची

क्र.सं.	**माल का विवरण**	**कर की दर** (%)
1.	चीनी, बताशा, मिश्री, मखाना एवं चीनी के खिलौने	0.25
2.	स्टेनलैस स्टील इग्नोट्स, बिलेट्स, ब्लूम्स, फ्लेट्स और फ्लेट बार	0.50
3.	टिन प्लेट	1.00
4.	विनिर्माण या परिष्करण के लिए तिलहन (तिल को अपवर्जित करते हुए) और खाद्य तेल	1.00
5.	एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर	8.00
6.	मिनरल वाटर और सील बंद पात्रों में विक्रीत जल	4.00
7.	एक्स-रे साधित्र और उपस्कर, मेडिकल इमेजिंग,	1.00

	डायग्नोस्टिक और थैरेप्यूटिक उपस्कर	
8.	दुपहिया और तिपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर यानों (ट्रेक्टरों से भिन्न) के पुर्जे और उप-साधन	4.00
9.	अफीम (चिरे हुए डोडा पोस्त से भिन्न)	1.50
10.	सूजी और आटा	2.00
11.	ऑप्टीकल फाइबर केबल और पालीएथीलिन इन्सुलेटेड जेली फिल्ड दूरसंचार (पी.आई.जे.एफ.) केबल	2.00
12.	पेट्रोल को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार का औद्योगिक ईंधन, गैसोलीन, हाई स्पीड डीजल ऑयल, सुपीरियर केरोसीन ऑयल, एल पी जी (जिसमें टोल्यूईन, प्रोपेनी, ब्यूटाईलीन, ब्यूटाडाइन, ऐथेलीन, आक्साइलीन, मिक्स-एक्साइलीन, बेनजीन सम्मिलित है), ए टी एफ (एवीएशन टर्बाइन फ्यूल) फरनेस ऑयल, हेक्सील (सोलवेंट ऑयल), नेफ्था, ल्यूब्रीकेन्ट (जिसमें ल्यूब ऑयल, ट्रान्सफार्मर ऑयल, ग्रीस सम्मिलित है), प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैली (जिसमें वैसलीन सम्मिलित है) (क्लोनिरेटेड पेराफिन वेक्स को सम्मिलित करते हुए) पेराफिन वेक्स, एल एस एच एस (लो सल्फर हाई स्टॉक), सी बी एफ एस (कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक), किसी भी रूप में पेट्रोलियम कोक, मिनरल तारपीन तेल, हैवी एल्केलेट, मैथलोई एसीटेट, रीमेक्स, रिवाइव, किसी भी नाम से जाना जाने वाला सी-9	3.00
13.	लाइट डीजल ऑयल	3.00
14.	लिक्वीफाइड नैचुरल गैस (एल.एन.जी.)	3.50
15.	वातित जल, सभी प्रकार के एल्कोहल रहित पेय और ब्रिवरेज	4.00
16.	आइसक्रीम	4.00
17.	दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया मोटर यानों या जीप ट्रेलर के मामले में चार पहियों से अधिक के मोटर यानों के टायर और ट्यूब और फ्लैप	4.00
18.	कॉफी, कोको	4.00
19.	वायरलैस, रिसेप्शन उपकरण और साधित्र, रेडियो और रेडियोग्रामोफोन, टेलीविजन, वी.सी.आर., वी.सी.पी., टेप रिकार्डर, ट्रांजिस्टर और उनके पुर्जे एवं उप-साधन	4.00
20.	इलैक्ट्रोनिक मीटर, फैक्स मशीन, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और स्मार्ट कार्ड सहित सभी प्रकार के इलैक्ट्रीकल और इलैक्ट्रोनिक माल; और उनके पुर्जे एवं उप-साधन	4.00
21.	जी.एस. स्टे सैट्स, इन्सुलेटर, पिन इन्सुलेटर, स्विच	4.00

	फ्यूज इकाईयां और आइसोलेटर्स सहित एल्यूमिनियम ढांचे, स्टील फेब्रिकेशन मद	
22.	सभी प्रकार के टेलीफोन और उनके पुर्जे	4.00
23.	टेलीविजन सैट, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन	4.00
24.	लुब्रिकेन्ट्स	4.00
25.	अभ्यास पुस्तिकाओं को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कागज और कागज उत्पाद	4.00
26.	एच डी पी ई बैग और प्लास्टिक बैग और सेक	4.00
27.	ए सी एस आर कंडक्टर्स	4.00
28.	ट्रांसफार्मर्स	4.00
29.	हैंड पंप, उनके पुर्जे और उप-साधन	4.00
30.	कम्प्यूटर और उनके उप-साधन	4.00
31.	रंग और रंगने का मसाला, टैक्सटाइल प्रसंस्करण में प्रयुक्त रसायनों को सम्मिलित करते हुए टैक्सटाइल सहायक और स्टार्च	4.00
32.	फोटोकॉपियर	4.00
33.	हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स (अर्थमूविंग एवं माइनिंग मशीनरी), मोबाइल क्रेन्स और हाइड्रोलिक डम्पर्स	4.00
34.	सीमेंट	4.00
35.	बिटुमिन	4.00
36.	जैनरेटिंग सैट	4.00
37.	टिन कण्टेनर्स	4.00
38.	विस्फोटक	4.00
39.	ए.सी. प्रेशर पाईप	4.00
40.	थर्मो मेकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार (टी.एम.टी.) सहित स्टील ढांचे और स्टील बार	4.00
41.	शोरा, बारूद, पोटाश और विस्फोटक	4.00
42.	सभी प्रकार का सेनेटरी का सामान और फिटिंग्स, पाइप और पाइप फिटिंग	4.00
43.	सेरेमिक और चमकीली टाइल्स	4.00
44.	ग्लास और ग्लास की शीट	4.00
45.	पान मसाला (जर्दा मिक्स नहीं)	4.00
46.	वे ब्रिज	8.00
47.	लिफ्ट और ऐलीवेटर	8.00
48.	मार्बल काटने के औजार, गैंगसा, डायमण्ड बिट	8.00
49.	फोट्रोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर	8.00
50.	पुर्जे और उप-साधन सहित सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र	8.00

51.	पीपी/एचडीपीई वोवन फैब्रिक्स	4.00
52.	तम्बाकू, सिगरेट, चिरूट, सिगार और सिगारीलोस, गुटखा और चूरी को सम्मिलित करते हुए जर्दायुक्त पान मसाला	12.50

[प.12(25)वित्त/कर/11-150]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ. 592.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(63)एफ.डी./टैक्स/2005-160, दिनांक 31.03.2006 (समय-समय पर यथा- संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सूची में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर से इस शर्त पर इसके द्वारा छूट देती है कि ऐसे माल के सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) के अधीन उद्ग्रहणीय कर राज्य में संदत्त कर दिया गया है,

सूची

क्र.सं.	**माल का विवरण**
1.	स्टेनलैस स्टील इग्नोट्स, बिलेट्स, ब्लूम्स, फ्लेट्स और फ्लेट बार
2.	टिन प्लेट
3.	विनिर्माण या परिष्करण के लिए तिलहन (तिल को अपवर्जित करते हुए) और खाद्य तेल
4.	एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर
5.	मिनरल वाटर और सील बंद पात्रों में विक्रीत जल
6.	एक्स-रे साधित्र और उपस्कर, मेडिकल इमेजिंग, डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक उपस्कर
7.	दुपहिया और तिपहिया यानों को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर यानों (ट्रेक्टरों से भिन्न) के पुर्जे और उप-साधन
8.	अफीम (चिरे हुए डोडा पोस्त से भिन्न)
9.	सूजी और आटा

10.	ऑप्टीकल फाइबर केबल और पालीएथीलिन इन्सुलेटेड जेली फिल्ड दूरसंचार (पी.आई.जे.एफ.) केबल
11.	पेट्रोल को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार का औद्योगिक ईंधन, गैसोलीन, हाई स्पीड डीजल ऑयल, सुपीरियर केरोसीन ऑयल, एल पी जी (जिसमें टोल्यूईन, प्रोपेनी, ब्यूटाईलीन, ब्यूटाडाइन, ऐथैलीन, आक्साइलीन, मिक्स-एक्साइलीन, बेनजीन सम्मिलित है), ए टी एफ (एवीएशन टर्बाइन फ्यूल) फरनेस ऑयल, हेक्सील (सोलवेंट ऑयल), नेफ्था, ल्यूब्रीकेन्ट (जिसमें ल्यूब ऑयल, ट्रान्सफार्मर ऑयल, ग्रीस सम्मिलित है), प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैली (जिसमें वैसलीन सम्मिलित है) (क्लोनिरेटेड पेराफिन वेक्स को सम्मिलित करते हुए) पेराफिन वेक्स, एल एस एच एस (लो सल्फर हाई स्टॉक), सी बी एफ एस (कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक), किसी भी रूप में पेट्रोलियम कोक, मिनरल तारपीन तेल, हैवी एल्केलेट, मैथलोई एसीटेट, रीमेक्स, रिवाइव, किसी भी नाम से जाना जाने वाला सी-9
12.	लाइट डीजल ऑयल
13.	वातित जल, सभी प्रकार के एल्कोहल रहित पेय और ब्रिवरेज
14.	आइसक्रीम
15.	दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया मोटर यानों या जीप ट्रेलर के मामले में चार पहियों से अधिक के मोटर यानों के टायर और ट्यूब और फ्लैप
16.	कॉफी, कोको
17.	वायरलैस, रिसेप्शन उपकरण और साधित्र, रेडियो और रेडियोग्रामोफोन, टेलीविजन, वी.सी.आर., वी.सी.पी., टेप रिकार्डर, ट्रांजिस्टर और उनके पुर्जे एवं उप-साधन
18.	इलैक्ट्रोनिक मीटर, फैक्स मशीन, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और स्मार्ट कार्ड सहित सभी प्रकार के इलैक्ट्रीकल और इलैक्ट्रोनिक माल; और उनके पुर्जे एवं उप-साधन
19.	जी.एस. स्टे सैट्स, इन्सुलेटर, पिन इन्सुलेटर, स्विच फ्यूज इकाईयां और आइसोलेटर्स सहित एल्यूमिनियम ढांचे, स्टील फेब्रिकेशन मद
20.	सभी प्रकार के टेलीफोन और उनके पुर्जे
21.	टेलीविजन सैट, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन
22.	लुब्रिकेन्ट्स
23.	अभ्यास पुस्तिकाओं को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कागज और कागज उत्पाद
24.	एच डी पी ई बैग और प्लास्टिक बैग और सेक
25.	ए सी एस आर कंडक्टर्स
26.	ट्रांसफार्मर्स
27.	हैंड पंप, उनके पुर्जे और उप-साधन
28.	कम्प्यूटर और उनके उप-साधन
29.	रंग और रंगने का मसाला, टैक्सटाइल प्रसंस्करण में प्रयुक्त रसायनों को सम्मिलित करते हुए टैक्सटाइल सहायक और स्टार्च

30.	फोटोकॉपियर
31.	हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स (अर्थमूविंग एवं माइनिंग मशीनरी), मोबाइल क्रेन्स और हाइड्रोलिक डम्पर्स
32.	सीमेंट
33.	बिटुमिन
34.	जैनरेटिंग सैट
35.	टिन कण्टेनर्स
36.	विस्फोटक
37.	ए.सी. प्रेशर पाईप
38.	थर्मो मेकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार (टी.एम.टी.) सहित स्टील ढांचे और स्टील बार
39.	शोरा, बारूद, पोटाश और विस्फोटक
40.	सभी प्रकार का सेनेटरी का सामान और फिटिंग्स, पाइप और पाइप फिटिंग
41.	सेरेमिक और चमकीली टाइल्स
42.	ग्लास और ग्लास की शीट
43.	पान मसाला (जर्दा मिक्स नहीं)
44.	वे ब्रिज
45.	लिफ्ट और ऐलीवेटर
46.	मार्बल काटने के औजार, गैंगसा, डायमण्ड बिट
47.	फोट्ग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर
48.	पुर्जे और उप-साधन सहित सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र
49.	पीपी/एचडीपीई वोवन फैब्रिक्स
50.	तम्बाकू, सिगरेट, चिरूट, सिगार और सिगारीलोस, गुटखा और चूरी को सम्मिलित करते हुए जर्दायुक्त पान मसाला

[प.12(25)वित्त/कर/11-151]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.593.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने

पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि अवसंरचना सुविधाओं के विकास के प्रयोजनों के लिए और नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का वित्त पोषण करने के लिए, स्थावर सम्पत्ति के हस्तांतरण, विनिमय, दान, बंदोबस्त, विभाजन, विक्रय करार, प्रशमन, बंधक, निर्मोचन, मुख्तारनामा और पट्टे की, और किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, को किसी स्थावर सम्पत्ति पर संनिर्माण, उसके विकास के लिए प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित करार या करार के ज्ञापन की, लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन संदेय स्टाम्प शुल्क पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-152]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.594.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि अनुसूची के अनुच्छेद 14 के अधीन बंधपत्र की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को 2 प्रतिशत तक घटाया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-153]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.595.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-158 दिनांक 09.03.2007 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पत्नी, पुत्र के पुत्र, पुत्री के पुत्र, पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-154]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.596.- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं.16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 48 के उपबंधों के अनुसार निष्पादित कृषि भूमि के विनिमय की लिखत और पैतृक कृषि भूमि के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का इसके द्वारा परिहार करती है।

[प.12(25)वित्त/कर/11-155]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.597.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 29 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**29. बट्टा.-** प्रत्येक अनुज्ञप्त विक्रेता या पदेन विक्रेता को, जो नकद धन के संदाय पर सरकार से न्यायिक या न्यायिकेतर स्टाम्प क्रय करता है, निम्नलिखित बट्टा अनुज्ञात किया जायेगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	स्टाम्प अंकित मूल्य	बट्टा
1.	1 से 400 रु.	2 प्रतिशत
2.	401 और अधिक रु.	1 प्रतिशत

"

3. नियम 58 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 58 के उप-नियम (1-क) में विद्यमान खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (iv), (v) और (vi) अन्त:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"(iv) नगरपालिक क्षेत्रों में भूमि के लिए सिफारिश की गयी दरें सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस क्षेत्र के लिए सुसंगत नियमों के अधीन अवधारित आरक्षित कीमत की दरों से कम नहीं होंगी।

(v) संस्थागत और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें पृथक् रूप से अवधारित की जायेंगी।

(vi) संस्थागत प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें आवासिक भूमि की दरों से डेढ़ गुना से कम नहीं होंगी और औद्योगिक प्रयोजन के लिए

भूमि की दरें ऐसी भूमि के 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र की दरों से या उस क्षेत्र की आवासिक भूमि की दर से, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं होंगी।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए संस्थागत प्रयोजन में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल इत्यादि सम्मिलित हैं और औद्योगिक प्रयोजन में कृषि आधारित उद्योग, रासायनिक और औषध-निर्माण सम्बन्धी उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कांच उद्योग, पर्यटन उद्योग इत्यादि सम्मिलित हैं।"।

[प.12(25)वित्त/कर/11-156]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.598.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि संस्थागत प्रयोजन या औद्योगिक प्रयोजन (पर्यटन इकाई के लिए भूमि को सम्मिलित करते हुए) के लिए भूमि से सम्बन्धित हस्तान्तरण की लिखत पर, जिसके लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा दरों की सिफारिश नहीं की गयी है, स्टाम्प शुल्क निम्नानुसार कम और प्रभारित किया जायेगा:-

(i) संस्थागत भूमि के मामले में, पक्षकारों द्वारा लिखत में विनिर्दिष्ट प्रतिफल पर या उस क्षेत्र में आवासिक भूमि के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों की डेढ़ गुणा दर से निर्धारित मूल्यांकन पर, इनमें से जो भी अधिक हो।

(ii) औद्योगिक भूमि (पर्यटन इकाई के लिए भूमि को सम्मिलित करते हुए) के मामले में, उस क्षेत्र में आवासिक भूमि के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों पर निर्धारित मूल्यांकन पर या 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र की भूमि की दरों पर, इनमें से जो भी कम हो:

परन्तु यदि पक्षकारों द्वारा लिखत में विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्यांकन से अधिक हो तो स्टाम्प शुल्क इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम पर प्रभारित किया जायेगा।

(iii) कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लम्बित समस्त मामलों में, स्टाम्प शुल्क उपर्युक्तानुसार कम और प्रभारित किया जायेगा किन्तु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-157]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.599.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि राज्य में भूमि के बाजार मूल्य में सारभूत रूप से बढ़ोतरी हुई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरें या महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा अनुमोदित दरें भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य को प्रकट नहीं करती हैं, इसके द्वारा आदेश देती है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी भूमि की बाजार दरों या, यथास्थिति, महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा अनुमोदित दरों को पुन: अवधारित किया जायेगा और इन्हें समस्त क्षेत्रों में स्थित भूमि के 15 प्रतिशत तक तुरंत प्रभाव से बढ़ाया जायेगा।

[प.12(25)वित्त/कर/11-158]
राज्यपाल के आदेश से,

भवानी सिंह देथा,
शासन उप सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.600.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कृषि ट्रेक्टर और कम्बाइन हारवेस्टर यानों को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय कर के संदाय से इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/पार्ट-II-1]
राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र सोनी,
शासन उप सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.601.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात् क्रय किये गये और 31.3.2013 से पूर्व रजिस्ट्रीकृत और ग्रामीण मार्गों तथा अन्य मार्गों (राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के उपबंधों के अधीन यथा-वर्गीकृत) पर अनन्य रूप से चलाये जाने वाले नये मंजिली यात्री यानों को, उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 4-ख के अधीन संदेय विशेष सड़क कर के संदाय से इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/पार्ट-II-2]
राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र सोनी,
शासन उप सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.602.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ङ के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, ऐसे यानों, जिनकी लागत 3.00 लाख रूपये से अधिक न हो, को उक्त अधिनियम के अधीन संदेय अधिभार के संदाय से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

[एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/पार्ट-II-3]
राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र सोनी,
शासन उप सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.603.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(252)परि/कर/एचक्यू/07/24ए-99, दिनांक 25.2.2008 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट यानों के विभिन्न वर्गों के लिए ग्रीन कर के नाम से उपकर की दर उसके स्तम्भ संख्यांक 3 में उनके सामने दर्शित समय पर और स्तम्भ संख्यांक 4 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर इसके द्वारा विहित करती है:-

क्र. सं.	यान का वर्ग	समय	उपकर की दर (रूपयों में)
1	2	3	4
1.	गैर-परिवहन यान	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनिम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान	

	(क) दुपहिया (ख) दुपहिया से भिन्न	अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय।	250.00 500.00
2.	परिवहन यान (क) तिपहिया यात्री और माल यान (ख) तिपहिया यात्री और माल यान से भिन्न	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय।	200.00 500.00

[एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/24बी]
राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र सोनी,
शासन उप सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2011

एस.ओ.604.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट यानों के विभिन्न वर्गों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के अधीन संदेय कर पर अधिभार की दर उसके स्तम्भ संख्यांक 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर इसके द्वारा विहित करती है:-

सारणी

क्र.सं.	**मोटर यान के वर्ग का वर्णन**	**अधिभार की दर**
1	2	3
1.	एकबारीय कर/एकमुश्त कर का संदाय करने वाले यान	संदेय कर का 10 प्रतिशत
2.	एकबारीय कर/एकमुश्त कर से भिन्न कर का संदाय करने वाले यान	संदेय कर का 5 प्रतिशत

[एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/09/26]
राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र सोनी,
शासन उप सचिव